संख्या–2326/33–3–2017/220/2017

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
4– मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक– 03 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2017**

विषयः उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गर्वमेन्ट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री एवं सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु आनलाइन प्लेटफार्म गर्वमेन्ट ई–मार्केटप्लेस **Government e-Market Place,** जेम (**GeM**) विकसित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जेम (GeM) को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेण्ट पोर्टल के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य वित्तीय नियम–2007 द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु बाध्यकारी बनाया गया है। इस प्लेटफार्म पर आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के साथ विविध वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है।

2–उक्त के क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–11/2017/523/18–2–2017–97ल0उ0/2017 दिनांक 23 अगस्त, 2017 (प्रति संलग्न) से राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं की क्रय प्रक्रिया को जेम पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु निम्न व्यवस्था प्रख्यापित की गयी हैः–

1– जो साम्रगी एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा। जो सामग्री अथवा सेवायें जेम पर उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल अथवा सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्व की भॉति लागू होगी।

2– उपरोक्त क्रय करने वाले विभागों अथवा संस्थाओं को क्रय किये जाने की दरों के उपयुक्त होने को प्रमाणित किया जाएगा।

3– क्रय करने वाले सरकारी विभागों अथवा संस्थाओं द्वारा जेम पोर्टल का उपयोग निम्नवत् किया जायेगाः–

(i) रू0 50,000/– तक का क्रय जेम पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी आपूर्ति कर्ता से किया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि की संतुष्ट रखता हो।

(ii) रू0 50,000/– से अधिक एवं रू0 30,00,000/– तक की सामग्री का क्रय जेम पोर्टल पर उपलब्ध ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा जो उपलब्ध आपूर्ति कर्ताओं में सबसे कम मूल्य का सामान ऑफर कर रहा हो, परन्तु शर्त यह है कि कम से कम तीन ऐसे विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के मूल्य की तुलना की जायेगी जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हों। जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बीडिंग और ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन के टूल्स का उपयोग भी क्रेता विभाग द्वारा किया जा सकेगा, अगर सक्षम प्राधिकारी इस सम्बन्ध में निर्णय लेता है।

(iii) रू0 30,00,000/– से ऊपर के क्रय में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन बीडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन टूल्स का उपयोग कर उस विक्रेता से क्रय किया जा सकेगा जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हुए सबसे कम मूल्य ऑफर करता है।

(iv) ऑनलाइन बीडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन में आमंत्रण जेम पोर्टल पर उपलब्ध सभी वर्तमान विक्रेताओं अथवा अन्य पंजीकृत विक्रेताओं को उपलब्ध होगा, जो जेम की नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपना प्रस्ताव करते हैं।

(v) उपरोक्त मौद्रिक सीमा केवल जेम के माध्यम से क्रय करने पर लागू होगी। अन्य विधि से क्रय करने पर पूर्ववत् मौद्रिक सीमा लागू रहेगी।

(vi) क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जेम पोर्टल पर उपलब्ध व्यवसाय विश्लेषक (business analytics) टूल्स, जिसमें जेम पर उपलब्ध अंतिम क्रय मूल्य, विभाग द्वारा अंतिम क्रय मूल्य इत्यादि सम्मिलित हैं, का उपयोग कर मूल्यों के सम्बन्ध में औचित्य सुनिश्चित कर लेंगे एवं उसके बाद ही अपने क्रय का आदेश देंगे।

(vii) आवश्यकता को छोटे–छोटे टुकड़ों में विभक्त कर क्रय नहीं किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अन्तर्गत निदेशक पंचायती राज, मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), निदेशक पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ एवं मण्डल स्तर पर उपनिदेशक (पंचायत) तथा जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी व जिला पंचायतों द्वारा

उक्त प्रक्रिया व्यवस्था अनुसार जेम पोर्टल पर सामग्री एवं सेवाओं का क्रय किया जा सकेगा।

3— सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–540/18–2–2017–97ल0उ0/2017 दिनांक 25 अगस्त, 2017 (प्रति संलग्न) द्वारा जेम पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया उल्लेखित की गयी है जिसके अनुसार पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित प्राइमरी यूजर्स को पंजीकृत किये जाने हेतु पृथक से कार्यालय आदेश निर्गत किये जायेगें। प्राइमरी यूजर्स के पंजीकरण यूजर्स के पंजीकरण के उपरांत उनके द्वारा अपने अधीन कार्यालयों/अधिकारियों (जहाँ भी सामग्री/सेवा के क्रय एवं भुगतान की कार्यवाही निष्पादित की जाती है) को सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में क्रेता (बायर), आपूर्ति प्राप्त कर्ता (कंसाइनी) अथवा भुगतान कर्ता की भूमिका में पंजीकृत किया जाएगा।

अतः उक्तानुसार अवगत होते हुए सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से सुसंगत निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2— स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3— सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
5— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9— समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।

आज्ञा से,

J.B.Singh

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।